जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

130/15

A3
1

Gen. No. 13

अपील सूचना का अधिकार संख्या 130/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19-01-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र दिनांक 26.06.2015 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

> आपका पत्रांक 784 दिनांक 02.06.2015 के पत्रांक के अंतिम पैरा में अंकित तथ्य कि निर्णय के अंतिम पैरा में शेष कार्यवाही हेतू श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर को अधिकृत किया गया है। अतः आप इस बाबत श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।
> 1– अंतिम पैरा किस शब्द से प्रारम्भ होता है उसकी सूचना।
> 2– उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 1360–61 दिनांक 25.05.2015 से प्रार्थी को सूचित किया है कि अपील संख्या 27/15 प्रथम अपील में पारित निर्णय से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आपके कार्यालय से प्राप्त करने हेतू आदेशित किया है इस बाबत सूचना।
> 3– पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसे उक्त तीन बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 1755 दिनांक 17.09.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना पत्र सं0 1331 दिनांक 23.07.2015 को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1331 दिनांक 23.07.2015 से निम्नानुसार अपीलार्थी को उत्तर दिया गया हैः–

कलैक्टर
गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के संबंध में जहां तक चाही गई सूचनांए उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है, राज0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च'' में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। अतः बिन्दु संख्या 1 से 3 के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए किसी निश्चित दस्तावेज के रूप में न होकर बल्कि प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावनांओ को देखते हुए न्याय हित में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि कि अपीलार्थी यदि किसी उपलब्ध निश्चित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर